FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थी**

पिंकीदेवी धर्मपत्नि श्यामगिरी जाति गोस्वामी निवासी देवली हुल्ला तह.सोजत जिला पाली

1. सरकार जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार बगड़ीनगर
2. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 01 /2023

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2023/ 6)

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/01/2023	अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उप तहसीलदार बगड़ी नगर के प्रकरण संख्या 516/2022 बअनवान सरकार बनाम पिंकीदेवी में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2022 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित कराने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया है कि उप तहसीलदार बगड़ी नगर ने जैर अपील निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित कर दिया। अतः अपीलाधीन निर्णय की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। निष्कर्षतः वाद बाहुल्यता को रोकने के लिए उप तहसीलदार बगड़ी नगर के प्रकरण संख्या 516/2022 बअनवान सरकार बनाम पिंकीदेवी में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2022 की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित किया जाता है। निर्णय की प्रति रेस्पोडेन्ट को नोटिस के सलंग्न भिजवाई जाकर स्थगन पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 27.1.2023 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	
27-1-23	स्थगन पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 30-1-23 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	
30-1-23	पत्रावली पेश हुई। मूल अपील में निर्णय हो जाने से उक्त स्थगन पत्रावली को चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता। अतः स्थगन प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन पत्रावली मूल अपील के साथ नत्थी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय नम्बर से कम हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	